उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-13/2021/1946/92-2-21-72एम/2020

लखनऊ:: दिनांक 10 फरवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर में कार्यरत रहने के दौरान मनमाने ढंग से कार्य कराये जाने, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति जारी करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, निर्माण कार्यो की सैम्पिलिंग परीक्षण न कराये जाने एवं कार्यो के निरीक्षण न करने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1690/92-2-20-72एम/2020 दिनांक 19-10-2020 द्वारा श्री पी0डी0 निरंजन, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बॉदा को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री पी0डी0 निरंजन, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-11-2020 को सेवानिवृत्त हो गये है के दृष्टिगत उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2021/1946(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री पी0डी0 निरंजन, सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in